REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2017/ज्येष्ठ 23, 1939
No. 482]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2017/JYAISTHA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2017

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 8 के साथ पठित धारा 462 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोकहित में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 05 जून, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.466(अ) तारीख 05 जून, 2015 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का संशोधन करती है, अर्थात्:-

 मूल अधिसूचना की, सारणी में क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"8	धारा 149 की उपधारा (1) का खंड (ख) और पहला परंतुक	लागू नहीं होगा।"

 मूल अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 19 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"19क	धारा 186 की उपधारा (7)	उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
		परंतु कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी कंपनी के लिए लागू नहीं होगी जिसमें उस कंपनी द्वारा उसके संगम ज्ञापन में यथाउल्लिखित
		उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं

	का वित्त प्रबंध करने के लिए उस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों के संबंध में उसकी छब्बीस प्रतिशत या अधिक समादत्त शेयरपूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा या एक या अधिक राज्य सरकारों या दोनों द्वारा धारित है।"

4. मूल अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2क. उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (3) में उपबंधित अपवाद, उपांतरण या अनुकूलन, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन आने वाली उस कंपनी पर लागू होंगे जिसने रजिस्ट्रार को धारा 137 के अधीन अपने वित्तीय विवरण या धारा 92 के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी फाइल करने में कोई चूक न की हो।"।

[फा. सं. 1/2/2014-सीएल.I]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणः 1. इस अधिसूचना की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 462 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

2. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 466(अ) तारीख 05 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June,2017

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 and in pursuance of sub-section (2) of section 462 read with section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, in the interest of public, hereby amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 466(E) dated the 5th June, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th June 2015 (hereinafter referred to as the principal notification), namely:-

2. In the principal notification, in the Table, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"8	Clause (b) and first proviso to sub-section (1) of section 149.	

3. In the principal notification, in the Table, after serial No. 19, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"19A.	Sub-section (7) of	In sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:-
	section 186.	Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to a company in which
		twenty-six per cent. or more of the paid-up share capital is held by the Central
		Government or one or more State Governments or both, in respect of loans provided by
		such company for funding Industrial Research and Development projects in furtherance
		of its objects as stated in its memorandum of association.".

4. In the principal notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2A. The exceptions, modifications and adaptations provided in column (3) of the aforesaid Table shall be applicable to a company covered under section 8 of the said Act which has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 of the said Act with the Registrar.".

[F. No. 1/2/2014-CL-I]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: - 1. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the said Act.

2. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 466(E) dated the 5th June, 2015.